

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

दिनांक

फर्द अहकाम

11-2-21

प्राथी वकील एवं सार्थी ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि पक्षकारन में राजीनामा हो चुका है आगे चलाना नहीं चाहते हैं, मिसल तलब कर Not-Press में खारिज कर दिया जावे। प्रार्थना पत्र पर पत्रावली तलब की गई। प्राथी व सार्थी वकीलने Not-Press कर मुकदमा खारिज करने का कथन किया। अतः यह प्रार्थना पत्र Not-Press में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार लेकर नम्बर से कम होकर दाया पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

अनोप गी॥

निजगमती

du

